**संख्या-106/2017/1196/22-2-2016-17(326)/2016**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री इलियास, निवासी-जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22874/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/08-07-2016 दिनांक 22-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री इलियास, निवासी- अहमदपुर रौनी थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। पूर्व में हुयी मारपीट की रंजिश को लेकर दिनांक 09-06-99 को बन्दी ने अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कटटा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-286/1999 में भा0द0वि0 की धारा-148,149,323,302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा दिनांक 18-04-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.04.2016 तक 08 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार एवं 11 वर्ष 01 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 59 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर न होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की उम्र 62 वर्ष होने व परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। दयायाचिका समिति द्वारा अपनी आख्या में बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी इकबाल(बन्दी संख्या-22577) पुत्र श्री इलियास निवासी-जनपद-कन्नौज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-106/2017/1196/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in